रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3519] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 30, 2019/कार्तिक 8, 1941
No. 3519] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 2019/ KARTIKA 8, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3898(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है कि किसी तेल क्षेत्र में लगे हुए उद्योग की सेवाएं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 17 में आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा बनाया जाए;

और केन्द्रीय सरकार ने 30 अप्रैल, 2019 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अंतिम बार उक्त उद्योग को लोक उपयोगी सेवा घोषित किया है, जिसे भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1665(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक हित में उक्त उद्योग की लोक उपयोगी सेवा की प्रास्थिति को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास की और अवधि के लिए बढाया जाना अपेक्षित है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी तेल क्षेत्र में लगे हुए उद्योग की सेवाओं को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तारीख 30 अक्तूबर, 2019 से छह मास की अवधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस–11017/1/2018-आईआर(पीएल)]

राम कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2019

S.O. 3898(E).—Whereas the Central Government is satisfied that public interest requires that the services of the industry engaged in any oilfield, which is covered under entry 17 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 30th April, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1665(E), dated the 30th April, 2019;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services of industry engaged in any oilfield to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 30th October, 2019.

[F. No. S-1017/1/2018-IR (PL)]

RAM KUMAR GUPTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.10.30 22:26:54 +05'30'